न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– कमला अलारिया (आर.ए.एस.)

दायर दिनांक 01.06.2018

प्रकरण संख्याः 33/2018

भगवती प्रसाद पुत्र रूपराम जाति बैरागी निवासी वार्ड न. 18, कस्बा सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़

बनाम

राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक :– 20.4.2022

–:: निर्णय ::–

उपस्थित :–

1. श्री राकेश कुमार मनचन्दा, अधिवक्ता अपीलांट
2. पैरोकार राज

1. अपील के सक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलांट को रोही नांगलिया तहसील सूरतगढ़ के खसरा न. 105 की 25.00 बीघा भूमि आरजीकाश्त पर सम्वत् 2036 के लिए दिनांक दिनांक 12.06.1979 को 1 वर्ष के लिए आवंटन की गई थी एवं उसके बाद समय–समय पर नवीनीकरण होता रहा व रकम राज कायम होती रही। अपीलांट आज तक आरजीरकाश्त है, इसके बावजूद बिना आधार व बिना अपीलांट को सुने बिना अपीलांट का प्रार्थना पत्र बाबत आरजी आवंटित भूमि की खातेदारी प्रदान किये जाने, निरस्त कर दिया गया। जैर अपील भूमि उपनिवेशन अधिनियम से वर्ष 1979 में अधिशाषित होती थी जो कि वर्ष 2008 में उपनिवेशन से मुक्त होकर राजस्व विभाग में उक्त नियमों के अधीन अधिशासित हुई । उक्त नियमों में आये संशोधन अधिसूचना एफ.9(77)रेवन्यू/6/2008/15 दिनांक 31.5.2005 के अनुसार उपनिवेशन मुक्त हुए क्षेत्र में काश्तकार वर्ष 2001 में लगातार कब्जा के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी होगे। कब्जा संबंधी जांच तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ द्वारा की ही नहीं गई। अपीलांट द्वारा आवंटन से ही विधिवत कब्जा प्राप्त कर काश्त की जाती रही है। भूमि बारानी है तथा बारिश ना होने पर भी काश्त की गई । उपज नहीं होने पर गिरदावरी ना की जाने का दण्ड अपीलांट को नहीं दिया जा सकता। अपीलांट के भौतिक कब्जे की जांच नहीं की गई। कब्जा के आधार पर प्रार्थी का खातेदारी बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलांट का रोही नांगलिया तहसील सूरतगढ़ के खसरा न. 105 की 25.00 बीघा भूमि की नियमानुसार खातेदारी प्रदान करने के आदेश तहसीलदार सूरतगढ़ को दिये जावे।

2. अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया व अधिनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश मनचन्दा हाजिर आये तथा रेस्पो0 पैरोकार राज उपस्थित हुए। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

3. अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जैर प्रकरण रकबा उपनिवेशन क्षेत्र से मुक्त है तथा अपीलांट जैर प्रकरण रकबा पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है तथा अपीलांट ने टी.सी. आवंटन की किसी भी शर्त को भंग नहीं किया है।अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपीलांट की पीठ पीछे पारित किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्व अपील पेश करने में हुई देरी को माफ किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाकर अपीलांट को रोही नांगलिया को खसरा न. 105 की 25.00 बीघा भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान करने के आदेश तहसीलदार सूरतगढ़ को दिये जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

4. पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्णतः विधिसम्मत तरीके से निर्णय पारित किया है। जैर प्रकरण रकबा पर अपीलांट का कब्जा नहीं है इसलिए अपीलांट खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

5. हमने उभय पक्ष की बहस सुनी व पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अपीलांट को रोही नांगलिया के खसरा न. 105 में 25.00 बीघा रकबा टी.सी. आंवंटन हुआ है। अपीलांट ने पूर्व में राज्य सरकार की पुख्ता आवंटन की योजना में आवेदन किया था, जिस पर तहसीलदार सूरतगढ़ ने अपीलांट को यह रकबा टी.सी. पुख्ता करने का पात्र मानकर अपनी अनुशंसा की है। इससे यह प्रतीत होता है कि अपीलांट का मौका पर कब्जा काश्त है। चूंकि रकबा उपनिवेशन क्षेत्र से मुक्त हो गया है व मुक्त होनें के पश्चात टी.सी. आवंटी स्वतः ही गैरखातेदार हो जाता है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट के कब्जा काश्त की विधिसम्मत तरीके से जांच भी नहीं की है व दिनांक 10.11.2017 को बिना किसी व्याख्या के अपीलांट का खातेदारी बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। मेरी राय मे यह निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाकर अपीलांट को नियमानुसार खातेदारी अधिकार दिये जाने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

6. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.11.2017 निरस्त कर अपीलांट को रोही नांगलिया के खसरा न. 105 की 25.00 बीघा रकबा पर अपीलांट का कब्जा मानते हुए नियमानुसार खातेदारी अधिकार दिये जाने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अटारिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़